अत्यावश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (74)/ग्राविवि/ग्रुप–5/आईएवाई/SSDJ/2013–14 जयपुर, दिनांकः 23 जुलाई, 2014

1. **समस्त जिला कलक्टर,**
2. **समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद (ग्राविप्र),
   राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत एसएसडीजी सेवा के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– RISL Letter no. F 4.3 (96)/RISL/Tech/13/2883 Dated 19-06-2014.

ग्रामीण आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व अन्य हेतु एसएसडीजी की सेवाऐं दिनांक 20 जून, 2014 से ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से शुरू की जा चूकी है। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की आवास योजनाओं की सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोडा गया है। यह सेवाऐं इस पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीएससी/ई–मित्र किस्योक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आवास योजनाओं के क्रम में स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी सेवाऐं लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद को इलेक्ट्रोनिक (ई–मेल/एसएमएस) माध्यम से भेजे जावेगे। सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से जॉच कर लाभार्थी का आवास हेतु पंजीयन व स्वीकृति, द्वितीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे व तृतीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी को सूचित भी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में 12 जून से 17 जून, 2014 तक समस्त जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था।

इस वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से आवास लाभार्थियों को पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से आवास स्वीकृति एवं द्वितीय व तृतीय किश्त भुगतान की स्थिति प्राप्त करना सुविधाजनक होगा। लाभार्थी द्वारा इस सेवा हेतु शुल्क रू 30/– निर्धारित किया गया है, जिसे लाभार्थी को पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से वहन करना होगा।

अतः अधीनस्थ को निर्देशित करावे की एसएसडीजी के माध्यम से ऑन लाईन भरे जाने वाले आवेदनों को एसएसडीजी पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करे। एसएसडीजी पोर्टल की यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में समस्त जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एसएसडीजी के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कठिनाई होने पर श्री मनीष कुमार मटौलिया प्रौग्रामर से सम्पर्क कर सकते हैं, श्री मटौलिया के फोन नम्बर 8426991706 एवं ई–मेल आई डी mkmatolia.doit@rajasthan.gov.in है। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी के 24x7 हेल्पलाईन सुविधा भी इस बाबत उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23/7/14
(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

D:\Desktop backup\Gitika ji\Gitika Ji.doc 84

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. समस्त जिला प्रभारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. श्री आर.के.शर्मा संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे पोर्टल

राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम राजकोप द्वारा स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की आवास योजनाओं की सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोडा गया है। यह सेवाऐं इस पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीएससी/ई–मित्र किस्योक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आवास योजना की निम्न तीन सेवाऐं लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

1. आवास योजना हेतु पंजीयन/स्वीकृति।
2. द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन।
3. तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद को इलेक्ट्रोनिक (ई–मेल/एसएमएस) माध्यम से भेजे जावेगे। सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से जॉच कर लाभार्थी का आवास हेतु पंजीयन व स्वीकृति, द्वितीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे व तृतीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी को सूचित भी किया जायेगा।

सेवा के रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को एक टोकन नम्बर दिया जावेगा जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी सेवा के सम्बन्ध में अपनी प्रगति चाहे तो खुद भी आंकलन कर सकता है। आवास योजना की सेवा हेतु प्रभार रू 30/– लाभार्थी को ई–मित्र/सीएससी को जमा कराने होंगे आवेदन के साथ लाभार्थी को फोटो जमीन सम्बन्धित कागजात व बैंक स्टेटमेन्ट आदि ई–मित्र/सीएससी कियोस्क को उपलब्ध कराने होंगे। लाभार्थी वर्तमान की तरह ही ग्राम सेवक के माध्यम से निःशुल्क उपरोक्त तीनों सेवाओं को प्राप्त कर सकेगा। यदि लाभार्थी किसी कारणवश इन सेवाओं को ग्राम सेवक के माध्यम से लेने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो वह एसएसडीजी की सेवाएं ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से विकल्प के रूप में ले सकता है। विकल्प के रूप में लेने पर ही 30 रूपये का प्रभार लाभार्थी को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी की सेवाएं लाभार्थी वेब–साईट के माध्यम से निःशुल्क भी ले सकता है।

एसएसडीजी पोर्टल की यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में समस्त जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एसएसडीजी के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कठिनाई होने पर श्री मनीष कुमार मटौलिया प्रौग्रामर से सम्पर्क कर सकते हैं, श्री मटौलिया के फोन नम्बर 8426991706 एवं ई–मेल आईडी mkmatolia.doit@rajasthan.gov.in है। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी के 24x7 हेल्पलाईन सुविधा भी इस बाबत उपलब्ध है।